संख्या-799/2017/2085/22-2-2017-17(106)/2016

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 05 अक्टूबर, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अनुराग शर्मा पुत्र श्री केशवसरन शर्मा निवासी जनपद-जे0पी0 नगर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-30682/प्रोबे0-5-दयायाचिका/181, दिनांक 24.08.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अनुराग शर्मा पुत्र श्री केशवसरन शर्मा, मो0 कायस्थान, थाना-हसनपुर, जनपद-जे0पी0 नगर का रहने वाला है। बन्दी दिनाक 26-06-2006 को 04 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर जाली नोटों के कारोबार में संलिप्त पाया गया है। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-434/2006 में भा0द0वि0 की धारा-489(क), 489(ग), 489(घ), 489(ड) के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0-1), जे0पी0 नगर के आदेश दिनांक 08.02.2008 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 04.03.2013 द्वारा बहाल रखा गया। बन्दी के 04 अन्य सहअभियुक्त कारागार में सजा भुगत रहे हैं। बन्दी द्वारा दिनांक 06.01.2017 तक 10 वर्ष 06 माह 10 दिन की अपरिहार सजा तथा 13 वर्ष 05 माह 29 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। दयायाचिका समिति ने बन्दी की आयु, काटी गयी सजा, कारित अपराध की प्रकृति, जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी अनुराग शर्मा (बन्दी संख्या-47429) पुत्र श्री केशवसरन शर्मा, निवासी-जनपद- जे0पी0 नगर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-799/2017/2085/(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जे0पी0 नगर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in